रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 26] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 21, 2000/चैत्र 1, 1922
No. 26] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 21, 2000/CHAITRA 1, 1922

वित्त मंत्रालय

(औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 मार्च, 2000

सं. 5/2000/एस.डी./बी.आई.एफ.आर.—रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 की धारा 27 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड, निम्नलिखित शक्तियां प्रत्यायोजित करता है :—

(क) बैंच द्वारा निश्चित किए गए बोर्ड के एकल सदस्य को—बोर्ड द्वारा स्वीकृत योजनाओं के मानिटरिंग सम्बन्धी उन मामलों में कार्रवाई करने के लिए जिनमें कम्पनी की शुद्ध सम्पत्ति एक करोड़ रुपए से अधिक और दो करोड़ रुपए से कम हो;

(ख) बोर्ड के सचिव को—बोर्ड द्वारा स्वीकृत योजनाओं के मानिटरिंग सम्बन्धी उन मामलों में कार्रवाई करने के लिए जहां कम्पनी की शुद्ध सम्पत्ति एक करोड़ तक हो, और शर्त यह है कि ऐसे मामलों में जहां मौलिक आदेश किए जाने आवश्यक हों, तो सचिव या एकल सदस्य, जैसा भी मामला हो, सम्बन्धित बैंच से आदेश प्राप्त करेंगे।

रामधन लाल मीणा, सचिव

[विज्ञापन/3/4/असाधारण/155/99]

MINISTRY OF FINANCE

(BOARD FOR INDUSTRIAL & FINANCIAL RECONSTRUCTION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th March, 2000

No. 5/2000/SD/BIFR.—In exercise of the powers conferred by Section 27 of the Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985, the Board for Industrial and Financial Reconstruction hereby delegates the following powers :—

(a) to a single Member of the Board as may be decided by the Bench concerned, to deal with monitoring cases relating to schemes sanctioned by the Board wherein the net worth of the company is more than Rs. 1 crore and less than Rs. 2 crores;

(b) to the Secretary to deal with monitoring cases relating to schemes sanctioned by the Board wherein the net worth of the company is up to Rs. 1 crore provided that in a case, where any substantive orders are needed, the Secretary, or as the case may be the single Member shall obtain the orders of the concerned Bench.

R.L. MEENA, Secy.

[Advt./III/IV/Exty./155/99]

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.